

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 11/2016

RCMS No. 2016/00128

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण:-
1. सुरेशचन्द्र सोनी पुत्र अमरचन्द्र सोनी जाति सोनी निवासी झूठा तहसील रायपुर जिला पाली		1. हरिराम पुत्र बाबुराम जाति कुमावत निवासी झूठा तहसील रायपुर 2. ग्राम पंचायत झूठा तहसील रायपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-

- श्री के०सी० पंवार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीग
- श्री अब्दुल रहमान सोढा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
- श्री गंगासिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

—: निर्णय :-

दिनांक:- 27/2/2018

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत झूठा तहसील रायपुर द्वारा मिसल संख्या 03/2014-2015 में प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.08.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 20.08.2014 के विरुद्ध पेश की गई। पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत से रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियम 158 के तहत बनाप पूर्व पश्चिम 10 फीट एवं उत्तर दक्षिण 15 फीट का पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा चाहा गया था, जो अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खसरा नम्बर 196 की आबादी में पट्टा जारी किया गया। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड बेचान से 40 बाई 25 वर्गफुट की भूमि खरीद की गई थी। इससे पूर्व इसी आबादी भूमि में दिनांक 20.05.1998 को मिसल तैयार कर नीलामी के जरिये 7 भूखण्ड काट कर दिनांक 20.05.1998 को पट्टे जारी किये गये थे। इन पट्टों की पश्चिम भुजा 50 फीट है। जिनकी विकास अधिकारी द्वारा इस आपत्ति के साथ जिला कलक्टर पाली के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की, कि भूखण्ड की कीमत अधिक है तथा कम कीमत पर भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया कि पुनः सुनवाई कर प्रचलित बाजार दर से पट्टा धारक से रकम वसूल करे एवं पूर्व रकम समायोजित की जावे। ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में 18 कम्प्युटराईज्ड मिसल, आवेदन पत्र, बयान, मौका रिपोर्ट आदि तैयार कर मात्र 140/- रुपये में पट्टा जारी किया गया। जबकि उक्त भूमि के पूर्व में प्रार्थीगण के नाम से पट्टे जारी हो रखे हैं एवं वर्तमान में पट्टा जारी करने हेतु भूमि उपलब्ध ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्ती का अधिकारी नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को वाणिज्यिक पट्टे जारी किये गये, जो अवैध है। आवेदन पत्र, शपथ पत्र, बयान, नोटिस सभी एक ही दिन में कम्प्युटर से तैयार किये गये हैं। आपत्ति पत्र कब चस्पा किया गया, दर्ज नहीं है। उपस्थित व्यक्तियों की सकूनत, वल्लिदयत जाति आदि दर्ज नहीं है। निरीक्षण कब किया गया तथा किन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया, आदि स्थिति स्पष्ट नहीं है। नक्शा फीस, पत्रावली कायम फीस आदि

श्री. जिला कलक्टर, पाली

नहीं ली गई है तथा पत्रावली एक ही दिन में तैयार कर फैसल की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है, वह पूर्णतः विधि विरुद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के नाम जब पट्टे जारी किये गये, उस समय उप सरपंच कालुपुरी था, जो प्रार्थी संख्या 1 का पति है, जिसने नियम विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अपनी पत्नि व अपने चहेतों के नाम पट्टे जारी करवाये। उन पट्टों की निगरानी जिला कलक्टर, पाली के समक्ष प्रस्तुत की, जो निगरानी स्वीकार की गई तथा पट्टे खारिज किये गये। निगरानी में पारित निर्णय की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को डीएलसी दर से राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये, किन्तु प्रार्थीगण ने राशि जमा नहीं करवाई। प्रार्थीगण ने भूमि पर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया तथा पुराने पट्टे से रजिस्ट्री करवा कर बेचान आरम्भ कर दिया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पुलिस बल से कब्जा खाली करवाया। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत न कर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। चूंकि जैर निगरानी पट्टे की भूमि मौके पर खाली थी, इस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टे जारी किये हैं। जिसमें किसी प्रकार का अनियमितता नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, उसकी प्रार्थीगण से तामील भी नहीं करवाई गई एवं यदि चस्था किया गया हो, तो उस पर दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा पट्टों की वैधता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कथन नहीं कहा है। पट्टे पुनः कम दरों पर जारी किये गये हैं। सम्पूर्ण प्रक्रिया विधि विरुद्ध रूप से अपनाई गई है। अतः निगरानी स्वीकार करावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत झुठा तहसील रायपुर द्वारा मिसल संख्या 03/2014-2015 में प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.08.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 20.08.2014 के विरुद्ध पेश की गई। ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कम्प्यूटाईज्ड आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर नियम 158 के तहत आवासीय पट्टा प्रदान कराने का निवेदन किया। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 05.05.2014 के अनुसार आवेदन पत्र आगामी बैठक में रखने का निर्णय पारित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आगामी बैठक दिनांक 12.05.2014 को रखी गई, जिसमें प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार "सरपंच महोदय ने बताया कि मौके पर नक्शे पर मेरे द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है तथा भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा बनाने की कार्यवाही की जावे।" इसी बैठक में नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचों की कमेटी बनाई गई, किन्तु उक्त कमेटी में वार्ड पंच कौन है ? यह स्पष्ट नहीं किया गया। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.07.2014 के प्रस्ताव संख्या 5 में वार्ड पंचों की रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित किया जाकर नियम 147 के तहत अस्थाई पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया तथा नियम 148 के तहत तीस दिन की आपत्तियां आमन्त्रित करने का सूचना पत्र जारी किया गया। इसके पश्चात उक्त मिसल ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.08.2014 में प्रस्तुत हुई, जिसमें प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार नियम 158 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया गया।

ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 16.01.2013 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटाने एवं पूर्व में जारी पट्टों को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

बधि • जिला कलक्टर, पाली

उस समय भूखण्ड 1651/- रूपये में नीलाम किया गया था तथा वर्तमान में दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से सुकराना राशि 140/- रूपये प्राप्त करते हुए पट्टा जारी किया गया है, जो पूर्व में जरिये नीलामी प्राप्त राशि से भी कम है। इस प्रकार प्रकरण में ग्राम पंचायत को भारी वित्तीय हानि भी हुई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत झुठा तहसील रायपुर द्वारा मिसल संख्या 03/2014-2015 में प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.08.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 20.08.2014 को निरस्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत झुठा को निर्देश दिये जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2001 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट याचिका में होने वाले निर्णय के अनुक्रम में विधि सम्मत कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत को रेकॉर्ड लौटाया जावे।



आदेश आज दिनांक 27/2/2018
हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीस्थ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद

(भागीस्थ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली